

**केंद्रीय सूचना आयोग**  
**बाबा गंग नाथ मार्ग**  
**मुनिरका, नई दिल्ली – 110067**

CICOM//P/25/00084  
CICOM/R/P/25/00130

अपीलकर्ता: श्री संजय गुप्ता,

|    |                                              |                              |
|----|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Date of RTI Application                      | 24.02.2025                   |
| 2  | Date of reply of the RTI application         | 06.03.2025                   |
| 3  | CPIO(s) who furnished reply                  | Shri Ankit Arora, SO (Legal) |
| 4  | 1 <sup>st</sup> Appeal Date                  | 21.03.2025                   |
| 5  | Diary No. and date of 1 <sup>st</sup> Appeal | 110002/21.03.2025            |
| 6. | <b>Date of Decision</b>                      | 17.04.2025                   |

**मामले का संक्षिप्त विवरण:**

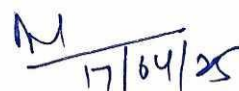
1 अपीलकर्ता ने अपने आवेदन पत्र के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय मेन सिविल अपील संख्या 10045/2010 (सी पी आई ओ, उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद अग्रवाल) में दिनांक 13.10.2019 को जारी किए गए निर्णय की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था।

2 सी पी आई ओ (अनुभाग अधिकारी – विधि) द्वारा पत्र संख्या Legal-15011/1/2025 दिनांक 06.03.2025 के तहत अवगत कराया गया कि सिविल अपील संख्या 10045/2010 (सी पी आई ओ, उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद अग्रवाल) के निर्णय की सत्यापित प्रति उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। अतः प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले में दखल देने का कोई मामला नहीं बनता है।

3 तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4 प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/ निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 17.04.2025

  
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संयुक्त सचिव (विधि)

**प्रतिलिपि :**

- 1) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर टीआई प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
- 2) अनुभाग अधिकारी – विधि, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।